न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितिः– उमेश मणि त्रिपाठी
प्रोवेट वाद संख्या–48/2013
सी0आई0एस0 संख्या–363/2013
(देवेन्दर नाथ तिवारी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य)

Date of Order or Proceeding	Order with the Signature of the Court	Office action taken with
23-06-2026	उभयपक्ष की ओर से हाजिरी दी गयी। वाद पुकारा गया। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल आवेदन अतंर्गत आदेश 01 नियम 10(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता दिनांक 08.12.2025 को प्रचालित करते हुये इस आशय का कथन किया गया कि उपरोक्त प्रोवेट वाद संख्या–48/2013 के आवेदक देवेन्दरनाथ तिवारी का दिनांक–14.11.2025 को मृत्यु हो गयी है तथा आवेदकगण उनके विधिक वारिसान है। उपरोक्त प्रोवेट वाद में आवेदकगण संघर्ष करना चाहते है और आवश्यक पक्षकार है। अतः मृत आवेदक देवेन्दर नाथ तिवारी का नाम विलोपित कर आवेदकगण का नाम प्रोवेट वाद में प्रतिस्थापित करने का प्रार्थना किया गया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदकगण के आवेदन दिनांक 08.12.2025 का कोई विरोध नहीं किया गया तथा आवेदन पर No Objection अंकित किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदकगण द्वारा यह आवेदन प्रस्तुत प्रोवेट वाद के एक मात्र आवेदक देवेन्दर नाथ तिवारी की मृत्यु दिनांक–14.11.2025 को हो जाने के कारण उनके विधिक वारिसानों को प्रतिस्थापित करने हेतु लाया गया है। उत्तरवादी की ओर से आवेदकगण के आवेदन का विरोध नहीं किया गया। इस मामलें के सम्यक निर्णयन के लिए आवेदक देवेन्दर नाथ तिवारी का नाम विलोपित कर इनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित किया जाना न्यायोचित प्रतीत हो रहा है। अतः न्यायहित में आवेदकगण का आवेदन दिनांक 08.12.2025 को स्वीकृत किया जाता है। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि मृत आवेदक देवेन्दर नाथ तिवारी का नाम प्रोवेट वाद से विलोपित कर, उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करे। वाद दिनांक 31.07.2026 वास्ते अग्रिम कार्यवाही। लेखापित sd/- जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान। दिनांक 23.06.2026	